

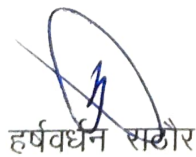
:: निर्णय ::

(आज दिनांक 15/05/26 को पारित किया।)

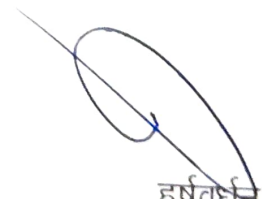
- 1- आरोपी द्वारा अपना अपराध स्वेच्छा पूर्वक स्वीकार किया गया है, तदनुसार उक्त स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियोजन साक्ष्य आहूत किया जाना आवश्यक नहीं है।
- 2- तदनुसार आरोपी को धारा 185 एम.वी.एक्ट के अधीन दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
- 3- आरोपी को धारा 185 एम वी एक्ट में 10,000/-रु अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है।
- 4- अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा न करने की दशा में उसे कमशः 15 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।
- 5- प्रकरण में जप्त शुदा वाहन क्रमांक ~~MP59F4225~~ के पंजीकृत स्वामी को वापस किया जावे/पूर्व से उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है, उक्त सुपुर्दगीनामा उसी के पक्ष में निरंक समझा जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार संपत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में उदघोषित किया।

मेरे बोलने पर निर्णय
टंकित किया गया।



हर्षवर्धन सठौर
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
इंदौर म.प्र.



हर्षवर्धन राठौर
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
इंदौर म.प्र.